जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 81/2018(RCMS : 2018/00201) गुरबन्त सिंह, 8 गुरूनगर , वार्ड नम्बर 6, गुरूनगर, श्रीगंगानगर बनाम राज्य सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर

16.01.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री गुरबन्त सिंह स्वयं उपस्थित एवं अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। प्रार्थी बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी ने अपनी सूचना का अधिकार के प्रार्थना पत्र दिनाक 14.09.2018 में चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में अपने अपील पत्र में बिन्दु संख्या 01 व 03 की सूचनाओं के दिए गए उत्तर का उल्लेख करते हुए कथन किया है कि उसे जो सूचनाएं प्राप्त हुई है वह गलत, अपूर्ण तथा निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसे सही सूचना दिलावाई जावे।

मैनें प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी गुरबन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2018 के द्वारा चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा उसके चाहे अनुसार उपलब्ध न करवाने के कारण यह अपील पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निम्न प्रकार से सूचनाएं चाही थी :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

1. तहसील कार्यालय करणपुर द्वारा पत्रांक भूअ/2018/2704 दिनांक 05.07.2018 से विधि शाखा, कलक्ट्रेट से जो मार्गदर्शन मांगा गया था तथा विधि शाखा द्वारा उपरोक्त पत्रांक के सम्बन्ध में जो मार्गदर्शन तहसील कार्यालय, करनपुर को दिया गया उसकी प्रमाणित प्रति देवें।
2. उपरोक्त मार्गदर्शन पर तहसील कार्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि देवें
3. श्री हजारीराम द्वारा दिनांक 01.04.2018 से 30.05.2018 तक जो भी इंतकाल चढाये गये, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि
4. एक अप्रैल 2018 से 30 मई 2018 तक जो इंतकाल पटवारी हजारी राम द्वारा चढाये गये, उन सम्बन्धित इंतकाल को चढाने के लिए जिस–2 दिन आवेदन आया तथा विभाग द्वारा संबंधित आवेदन को जिस पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज किया, उस उस दिन के पंजीकरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रति देवें।

उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा अपील में अंकित तथ्यों पर कोई उत्तर प्रस्तुत नही किया है **किन्तु अपीलार्थी को** उसके सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रार्थना पत्र पर **दिनांक 14.09.2018 पर निम्न प्रकार से उत्तर** दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख कि आपके सूचना के अधिकार के प्रार्थना पत्र अनुसार सूचना निम्नानुसार है :

1. विधि प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर से मार्गदर्शन अप्राप्त होने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती है।
2. विधि प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर से मार्गदर्शन अप्राप्त है।
3. श्री हजारी राम द्वारा दिनांक 01.04.2018 से 30.05.2018 तक चक 46 एफ में किये गये इंतकालों की प्रति संलग्न है।
4. एक इंतकाल डिग्री का है जिसके डिस्पेच की प्रति पूर्व में आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है, शेष इन्तकाल विरास्तन इन्तकाल है जिनका सीधा ही पटवारी द्वारा इन्तकाल किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा अपील पत्र के साथ प्रस्तुत तहसीलदार, करणपुर के पत्र 4314 दिनांक 11.10.2018 की प्रति के अनुसार बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचनाओ के सम्बन्ध में विधि प्रकोष्ठ से मार्ग दर्शन अप्राप्त होना बताया है जबकि तहसीलदार करणपुर के पत्र दिनांक 05.07.2018 पर विधि शाखा के पत्राक क्रमांक 3168 दिनांक 27.08.2018 द्वारा उन्हें मार्ग दर्शन दिया गया प्रतीत होता है जिससे अपीलार्थी के इस कथन को बल मिलता है कि उसे सही व पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए इस मामले को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, करणपुर को पुनः नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.09.2018 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विचार कर पुनः नियमानुसार उपलब्ध करवाने की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीकरणपुर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद मदन नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर